

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प श्रीपती डीडीपान

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीपती डीडीपान
व भू.अ.नि. के.डी.पी. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार के.एम.गडा / नायब
तहसीलदार के.एम.गडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम फूडिया तहसील के.एम.गडा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 137 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	फूडिया	137	के.डी.पी. माधवनाथ जिला भारत अपीट R M G B	के.डी.पी. माधवनाथ जिला भारत अपीट राजस्थान शाहीन कैठ

के.एम.गडा
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, के.एम.गडा

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक:- 297
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार के.एम.गडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री के.डी.पी. माधवनाथ जिला भारत अपीट को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

के.एम.गडा
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, के.एम.गडा